न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–96 / 2014–15

श्री प्रदीप पाण्डेय –बनाम– श्रीमती उर्मिला डबराल

उपस्थितः श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा

बावत

मौजा हरीपुर कलां, परगना परवादून,
तहसील ऋषिकेश, जनपद देहरादून।

आदेश

यह निगरानी तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा वाद संख्या–4302 / 2014 अन्तर्गत धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम प्रदीप पाण्डेय बनाम श्रीमती उर्मिला डबराल में पारित आदेश दिनांक 30–01–2015 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता ने प्रतिउत्तरदाता से प्राप्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21–07–2014 के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20–08–2014 को तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा नामान्तरण वाद में लेखपाल की आख्या प्राप्त की गई जिसमें नामान्तरण की संस्तुति की गई। इस नामान्तरण वाद में तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 30–01–2015 को आदेश पारित किया गया कि ''प्रकरण में विवादित होने के कारण निरस्त।'' तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–2015 के विरूद्व यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि निगरानीकर्ता ने प्रश्नगत भूमि प्रतिउत्तरदाता से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की थी जिसके नामान्तरण हेतु नामान्तरण प्रार्थना पत्र तहसीलदार, ऋषिकेश के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नामान्तरण वाद में तहसीलदार द्वारा इश्तहार जारी कर लेखपाल की रिपोर्ट प्राप्त की गई और लेखपाल द्वारा नामान्तरण किये जाने की संस्तुति की गई। तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण वाद में कोई आदेश पारित नहीं किया गया। दिनांक 26–11–2014 तक खतौनी में किसी भी अन्य न्यायालय का कोई आदेश नामान्तरण कार्यवाही को रोकने का अंकित नहीं था। तहसीलदार ने त्रुटिपूर्ण ढंग से सिविल न्यायालय, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 19–11–2014 को पारित आदेश की इन्द्राज खतौनी में कर दी और 30–01–2015 को इस आशय का आदेश पारित कर दिया कि नामान्तरण का प्रकरण विवादित है। तहसीलदार द्वारा सिविल न्यायालय के आदेश को किस प्राविधान के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया स्पष्ट नहीं है जबकि भू–राजस्व अधिनियम की धारा–233 के अनुसार सिविल न्यायालय के आदेश को राजस्व अभिलेखों में तब तक दर्ज नहीं किया जा सकता जब तक कि सक्षम न्यायालय उस आदेश / डिक्री के सम्बन्ध में अपनी पुष्टि कर परवाना अमलदरामद जारी नहीं कर देता। चूँकि आदेश पिछली तिथि को खतौनी में अंकित किया गया इसलिए खतौनी में आदेश किस

तिथि को अंकित किया गया उसकी तिथि नहीं ड़ाली गई। तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण है और निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता ने प्रतिउत्तरदाता से पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से प्राप्त भूमि पर नामान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया और इस नामान्तरण वाद में इश्तहार जारी करते हुए सम्बन्धित लेखपाल की आख्या भी प्राप्त की गई। लेखपाल/कानूनगो ने अपनी आख्या दिनांक 20–09–2014 से नामान्तरण हेतु संस्तुति की गई परन्तु तहसीलदार, ऋषिकेश ने मात्र यह टिप्पणी/आदेश दिनांक 30–01–2015 पारित करते हुए कि प्रकरण में विवादित होने के कारण निरस्त। आदेश के प्रथमदृष्टया अवलोकन से यह आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण दृष्टिगत होता है। प्रकरण में किस प्रकार का विवाद है और किस आधार पर नामान्तरण निरस्त किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इश्तहार के अवलोकन से भी यह दृष्टिगत होता है कि इश्तहार दिनांक 20–08–2014 को जारी हुआ और वाद में आपत्ति हेतु दिनांक 02–09–2014 की तिथि नियत की गई। यदि प्रश्नगत नामान्तरण में कोई आपत्ति अथवा विवाद था तो तहसीलदार को चाहिए था कि वे नामान्तरण वाद में प्रार्थी एवं आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई के उपरान्त गुणदोष के आधार पर नामान्तरण वाद में अन्तिम आदेश पारित करते परन्तु उनके द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया। सिविल न्यायालय, ऋषिकेश के आदेश का इन्द्राज भी किस तिथि को खतौनी में अंकित किया गया यह स्पष्ट नहीं है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–233 भी यह स्पष्ट करती है कि:–

धारा 233. सिविल न्यायालय के हस्तक्षेप से वर्जित मामले– कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में सिविल न्यायालयों में वाद या अन्य कार्यवाही दायर नहीं करेगा–

(घ) अधिकार अभिलेख की रचना या तैयारी, हस्तान्तरण अथवा उसमें उल्लिखित किसी दस्तावेज का सत्यापन या वार्षिक रजिस्टरों की तैयारी। ''

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है एवं निरस्त होने योग्य है और निगरानी स्वीकार होने योग्य है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाना उचित होगा कि वे प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र का विधि में निर्दिष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत गुणदोष के आधार पर निस्तारण करें।

आदेश

निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है और तहसीलदार, ऋषिकेश द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–01–2015 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णयादेश में दी गई विवेचना के आलोक में नामान्तरण वाद का निस्तारण एक माह अन्तर्गत सुनिश्चित करें। पत्रावली संचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 10/7/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।